दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 27 मार्च, 2000 को प्रातः 10.00 बजे मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभाकक्ष, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110 054 में हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष.
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
5.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
6.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य
8.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 23 फरवरी, 2000 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि इस संशोधन के साथ कर दी गई कि संकल्प संख्या 523 की अंतिम पंक्ति से पहले निम्न प्रकरण जोड़ दिया जाए :-

"बैठक के दौरान श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम, श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड और श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम ने कहा कि पिछली परिपाटी के सिद्वान्त को बनाए रखने के लिए अधीक्षण अभियंता (वि.एवं या.) का एक पद सृजित किया जाना चाहिए" ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाई का विवरणः–

दिल्ली जल बोर्ड की 27 जनवरी, 2000 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाई का विवरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । बोर्ड ने इसे रिकार्ड में ले लिया ।

मद संख्या 458 गोपनीय

बोर्ड द्वारा इस मद पर विचार को स्थगित रखा गया ।

मद संख्या 507 गोपनीय

बोर्ड द्वारा इस मद पर विचार को स्थगित रखा गया ।

मद संख्या 508 गोपनीय

बोर्ड द्वारा इस मद पर विचार को स्थगित रखा गया ।

मद संख्या 551 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य विधि अधिकारी के एक पद को रू0 14300–18300 के वेतनमान में सृजित करना तथा इस पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति करना ।

बोर्ड द्वारा इस मद पर विचार को स्थगित रखा गया ।

संकल्प संख्या 547

मद संख्या 556 बाह्य डाक वितरण के कार्य में लगाये गये अनुचरों को दिल्ली परिवहन निगम के सर्वमार्गीय मासिक बस पास के एवज में दी जाने वाली राशि को रू0 250/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 400/– प्रतिमाह करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी./24 दिनांक 8.3.2000 में वर्णित बाह्य डाक वितरण सेवा में लगाये गये अनुचरों को दिल्ली परिवहन निगम के सर्वमार्गीय पास की एवज में दी जाने वाली रू0 250/– प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर रू0 400/– प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 548

मद संख्या 557 दिल्ली जल बोर्ड में संयुक्त निदेशक (राजस्व) के तीन पदों को तदर्थ आधार पर भरना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी./25 दिनांक 8.3.2000 में वर्णित संयुक्त निदेशक (राजस्व) के तीन पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 549

मद संख्या 558 दिल्ली जल बोर्ड में प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी./26 दिनांक 14.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रोग्रामर के पद हेतु भर्ती नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधान सचिव (शहरी विकास) द्वारा सुझाव दिया गया कि अन्य पदों के भर्ती नियमों में उचित प्रावधान करके कम से कम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किये जाने वाले कर्मियों के लिए कमप्यूटर का ज्ञान आवश्यक किया जाना चाहिए । इसी प्रकार सेवा अवधि में कमप्यूटर का ज्ञान अर्जित करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में प्राथमिकता देने के लिए भी भर्ती नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए कमप्यूटर के प्राथमिकता प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कमप्यूटर कक्ष द्वारा यथाशीघ्र कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए ।

संकल्प संख्या 550

मद संख्या 559 दिल्ली जल बोर्ड में राजस्व निदेशक और सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के पद को सम्मिलित करना।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी./27 दिनांक 14.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि निदेशक राजस्व और सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के पदों को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 551

मद संख्या 560 सीलमपुर के पास शास्त्री पार्क शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था एवं बिछाना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–5/पी–1 दिनांक 10.3.2000 में वर्णित शास्त्री पार्क में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था और बिछाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 85,30,446/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 552

मद संख्या 561 अरविन्द नगर कालोनी शाहदरा में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था करना एवं बिछाना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–5/पी–2 दिनांक 13.3.2000 में वर्णित अरविन्द नगर में आन्तरिक सीवर प्रक्रिया की व्यवस्था व बिछाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इस कार्य हेतु रू0 68,70,483/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 553

मद संख्या 562 दिल्ली जल बोर्ड में जन सम्पर्क अधिकारी के पद को उप निदेशक राजस्व/सहायक आयुक्त/अध्यक्ष के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिव के पद में संवर्गबद्व(इनकाडरमैन्ट) करना।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/पी./28 दिनांक 16.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि जन सम्पर्क अधिकारी के पद को उप निदेशक राजस्व/सहायक आयुक्त/अध्यक्ष के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिव के पद के साथ दिनांक 31.3.2001 अथवा इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले लागू हो, संवर्गबद्व करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 554

मद संख्या 563 हैदरपुर जल संयंत्र के समीप वरूण निकेतन में मै0 बी.आर. कन्स्ट्रक्टिव बिल्डर्स के जोखिम एवं लागत पर अतिरिक्त कर्मचारी आवासों का निर्माण ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–3/पी–18 दिनांक 21.3.2000 में वर्णित वरूण निकेतन में मै0 वी.आर. कन्स्ट्रक्टिव बिल्डर्स के जोखिम और लागत पर अतिरिक्त कर्मचारी आवासों के निर्माण कराने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि मै0 सतीश बिल्डर्स की रू0 2,48,51,041.08 के लागत की न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कार्य आदेश जारी किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी ।

इस मद पर चर्चा के दौरान प्रधान सचिव (श.वि.) द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजनाओं के निष्पादन में देरी तथा कार्यो को करने में विफलताओं को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को परियोजनाओं के कार्य छोटे और सीमित साधनों वाले ठेकेदारों को नहीं आवंटित करने चाहिए । अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि छोटे कार्य के निष्पादन की कठिनाइयों को हल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अच्छी साख वाले छोटे ठेकेदारों की सूची तैयार की जाए । उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जन उपयोगी संस्था है अतः इसे वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध तथा लम्बी अवधि के प्रबन्धन अनुबन्धों पर विचार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य दिल्ली जल बोर्ड ने कहा की, यद्यपि बड़े ठेकेदारों को कार्य आवंटित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथापि छोटे–छोटे कार्य आवश्यक रूप से छोटे ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने चाहिए तथा ऐसे छोटे कार्यों को करने के लिए बड़े ठेकेदारों की प्रतीक्षा में समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए ।

संकल्प संख्या 555

मद संख्या 564 श्रीनिवास पुरी में 4 लाख गैलन क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–3/पी–19 दिनांक 22.3.2000 में वर्णित उपरोक्त विषय से सम्बन्धित कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य मै0 ग्लैग इन्जीनियर्स (प्रा0) लिमि0 को रू0 55 लाख की लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में कार्य निष्पादन हेतु आगे की आवश्यक कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

संकल्प संख्या 556

मद संख्या 565 सुदर पहाड़गंज जौन में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु शास्त्री नगर पम्पिंग स्टेशन से मेहता बिल्डिंग तक 600 मि.मी. व्यास की पानी की सी.आई. पाईप लाईन की व्यवस्था/बिछाना/जोड़ना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–1/पी–19 दिनांक 16.3.2000 में वर्णित सदर पहाड़गंज जोन में शास्त्री नगर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन से मेहत्ता बिल्डिंग तक 600 मि.मी. व्यास की पानी की लाईन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 68,51,534/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बैठक के कार्यवृन्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में, कार्य निष्पादन हेतु आगे की आवश्यक कार्यवाई करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

संकल्प संख्या 557

मद संख्या 566 दिल्ली जल बोर्ड के योग्य कर्मचारियों के लिए गर्मी एवं सर्दी की वर्दी की विभिन्न मदों की खरीद ।

पत्र क्रमांक निदेशक (प्रशा.एवं का.)/पी–29 दिनांक 23.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में वर्दी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्दी की विभिन्न मदों की खरीद अखिल भारतीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करके रू0 1,85,40,000/– की अनुमानित लागत पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 558

मद संख्या 567 शाहदरा में स्थित गंगा विहार क्षेत्र में पीने के पानी की पाईप लाईन को प्रदान करना, बिछाना एव जोड़ना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–5/पी–3 दिनांक 23.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उपरोक्त कार्य के लिए रू0 64,53,828/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 559

मद संख्या 568 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माउन्टेड टैंकरों तथा माध्यम मोटर वाहनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु वाहनों को किराये पर लगाना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–1/पी–20 दिनांक 23.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा दिनांक 1.4.2000 से 31.5.2000 की अवधि के लिए 400 वाहनों को पहले स्वीकृत दरों पर किराये पर लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वाहनों को प्रतिदिन 16 घण्टे के लिए किराए पर लगाना उददेश्यहीन तथा अपव्यय है । अतः वाहनों को प्रतिदिन 12 घण्टे के लिए किराए पर लगाया जाना चाहिए । केवल जलापूर्ति प्रक्रिया में रूकावट की दशा में 16 घण्टे के प्रस्ताव पर अम्ल किया जाना चाहिए । ग्रीष्म ऋतु में प्रयुक्त किये जाने वाले सभी टैंकरों को लगाये जाने का निश्चित कार्यक्रम बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा ।

संकल्प संख्या 560

मद संख्या 569 बवाना में कच्चे पानी के पम्प हाऊस से बवाना–नरेला रोड स्थित 20 मि.गै. दैनिक क्षमता के जल उपचार सयंत्र तक 20 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. की कच्चे पानी की मुख्य लाईन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–3/पी–20 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य मै0 भूरत्नम एण्ड कम्पनी को 9% कम दर पर रू0 3,49,64,358.52 की लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 561

मद संख्या 570 7 एम.एल. भूमिगत जलाशय/बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के दक्षिण पुरी में निर्माण (शेष कार्य) कार्य के निर्माण की तदोपरान्त स्वीकृति ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–3/पी–21 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य मै0 कंवरभान को रू0 33,23,378.56 की कुल लागत पर धारा 10 सी.सी. के अन्तर्गत लाभ के बिना आवंटित करने की "एक्स–पोस्ट–फैक्टो" स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 562

मद संख्या 571 भारी मोटर वाहनों पर ड्यूटी हेतु ड्राइवरों की अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति ।

पत्र क्रमांक निदेशक (प्रशा.एवं का.)/पी–30 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि 450 वाहन चालकों को अनुबन्ध आधार पर रू0 3500 प्रतिमाह की एक मुश्त राशि पर दिनांक 30 सितम्बर 2000 तक अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 563

मद संख्या 572 अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान 12000–16500 में तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति ।

पत्र क्रमांक निदेशक (प्रशा.एवं का.)/पी–31 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि श्री ए.के. वर्मा को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर रू0 12000–16500 के वेतनमान तथा सामान्य भतों सहित तदर्थ आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किये जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले लागू हो, पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 564

मद संख्या 573 दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

पत्र क्रमांक निदेशक (वित्त एवं लेखा)/53 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि पत्र के संलग्नक "क" के अनुसार संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन को स्वीकृति प्रदान की जाती है, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 1 व 2 में वर्णित सहायक अभियंता की शक्तियां रू0 30,000/-, अधिशासी अभियंता की रू0 3 लाख तथा अधिक्षण अभियंता कि रू0 5 लाख होगी ।

संकल्प संख्या 565

मद संख्या 574 दिल्ली जल बोर्ड का वर्ष 1999-2000 का संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2000-2001 का बजट अनुमान ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 1999-2000 का संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2000-2001 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया । चर्चा के पश्चात् बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की दी गयी ।

संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999-2000 में आय रू0 225.75 करोड़ और उक्त अवधि के लिए व्यय रू0 631.20 करोड़ निरूपित किया गया । वर्ष 1999-2000 के लिए सकल घाटा रू0 405.45 करोड़ आंका गया । यद्यपि रू0 288 करोड़ की ऋण देनदारी को स्थगित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सरकार से अनुरोध किया जाएगा जिससे वर्ष 1999-2000 के लिए कुल घाटा रू0 117.45 करोड़ आंका गया है ।

वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में रू0 247.25 करोड़ की आय, रू0 701.78 करोड़ का कम तथा रू0 454.53 करोड़ का सकल घाटा निरूपित किया गया है । यद्यपि सरकार से रू0 305.93 करोड़ की ऋण देनदारी को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा, जिससे वर्ष 2000-2001 के लिए कुल घाटा रू0 148.60 करोड़ निरूपित किया गया है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने बजट भाषण में वित्तीय और भौतिक सन्दर्भ में पिछले वर्ष की उपलब्धियों तथा आगामी वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि प्रशुल्क क्षेत्र का विस्तार प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना तथा राजस्व संग्रहण में और दक्षता लाना राजस्व क्षेत्र में मुख्य होगा । उन्होंने बोर्ड को सूचित किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 225.75 करोड़ के निरूपित राजस्व संग्रहण लक्ष्य के विरूद्व रू0 210 करोड़ के लगभग राजस्व संग्रहण होगा जोकि लक्ष्य के 90% से भी अधिक है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके संगठन द्वारा किये गये प्रयासों की बोर्ड के सदस्यों ने सराहना की ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जलापूर्ति के सम्बर्धन के लिए यमुना नदी के किनारे रैनी कुओं और ट्यूबवैलों को लगाने, मुनक और हैदरपुर के मध्य समानान्तर "लाईन चैनल" के निर्माण तथा मुरादनगर और सोनिया विहार के मध्य "क्लोज्ड कनडयूट" का निर्माण किए जाने की भी जानकारी दी, इसके अतिरिक्त भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए वर्षा के पानी का संरक्षण करने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी बोर्ड को दी गई । दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए अन्य उपायों जैसे पेयजल संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने, बागवानी तथा पीने के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चे पानी का उपयोग करने तथा पुराने और रिसावयुक्त पाइप लाइनों को समय पर बदलने आदि की भी जानकारी उन्होंने बोर्ड को दी । उन्होंने बताया कि राज्य भूमिगत जल प्राधिकरण की स्थापना हेतु आवश्यक कानून बनाने तथा भवन उपनियमों के अन्तर्गत वर्षा के पानी के संरक्षण हेतु अनिवार्य प्रावधान किया जाना दिल्ली में पेयजल आपूर्ति प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण में लाभकारी सिद्व होगा । पानी की मुख्य लाइनों में पानी के रिसाव का पता लगाने तथा रिसावों की मरम्मत के कार्य हेतु निजि संस्थाओं को लगाने से रिसावों आदि से होने वाली पेयजल की बर्बादी को रोकने तथा कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड को दी गई । उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दो वर्षो में पानी की पुरानी पाइप लाइनों को रू0 100 करोड़ की लागत से बदलने की योजना पर भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कर्यवाई की जा रही है ।

सम्पूर्ण दिल्ली में पुरानी, बैठी हुई और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों की मरम्मत, पुर्नस्थापना और बदलने के कार्य के लिए वृहद प्रयास किए जा रहे हैं । 15 प्रस्तावित अवजल उपचार संयंत्रों में से 8 संयंत्र पूरे और चालू किए जा चुके हैं । शेष संयंत्रों को अगले वित्तीय वर्ष में चालू किए जाने की योजना है । इन प्रयासों से अवजल निबटान का प्रभावकारी प्रबंधन करने और यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी ।

संकल्प संख्या 566

मद संख्या 575 गुरूद्वारा दमदमा साहिब, बेतार केन्द्र एवम् चिड़ियाघर के पास 2200 मि.मी. व्यास के रिंग रौड़ ट्रंक सीवर के धंसे हुए भाग की पुर्नस्थापना ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–2/10 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित उपरोक्त कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इस कार्य हेतु रू0 11,18,01,500/- के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य महोदय ने अनुमान से सम्बन्धित कुछ अतिरिक्त जानकारी चाही, जिन्हें दे दिया गया ।

संकल्प संख्या 567

मद संख्या 576 1600 मि.मी. व्यास के ट्रंक सीवर का हर्ष विहार से हैदरपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक का पुर्नस्थापन ।

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (सिविल)–2/11 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित उपरोक्त कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा उक्त कार्य हेतु रू0 1454 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य महोदय द्वारा सड़क पुर्नस्थापना प्रभारों के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी, जिन्हें दे दिया गया ।

संकल्प संख्या 568

मद संख्या 577 Supply, Delivery, Erection, Testing and Commissioning of E&M equipments at Yamuna Vihar, Shahdara Booster Pumping Station.

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स/पी.–9 में वर्णित उपरोक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने चर्चा की तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य को रू0 1,84,55,603/- की कुल लागत पर मै0 सुभाष प्रोजेक्टस को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में इस कार्य से सम्बन्धित आगे की कार्यवाई करने हेतु भी अधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 569

मद संख्या 578 Supply, Delivery, Erection, Testing and Commissioning of E&M equipments at Jagat Puri, Shahdara Booster Pumping Station.

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स/पी.–10 में वर्णित उपरोक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य रू0 1,50,00,770/- की कुल लागत पर मै0 जे.ई.एस. इन्जी0 क0 (प्रा0)लिमि0 को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में आगे की कार्यवाई किए जाने के लिए भी अधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 570

मद संख्या 579 Supply, Delivery, Erection, Testing and Commissioning of diesel generating sets alongwith switchgear and cables including civil work for Naraina & Patel Road Booster Pumping Station.

पत्र क्रमांक मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स/पी.–11 दिनांक 24.3.2000 में वर्णित उपरोक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उक्त कार्य मै0 एस.ई.डब्ल्यू. इन्जी. वर्क्स (प्रा0)लिमि0 को रू0 71,00,845.80 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चा:-

1. अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि केवल नीतिगत मामलों पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए ।

2. अध्यक्ष महोदया ने इस बात पर जोर दिया कि आन्तरिक और परिधीय सीवर से सम्बन्धित कार्यों के सी.एस.ई. विभाग से दिल्ली जल बोर्ड को स्थानांतरित होने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विशेष प्रयासों के माध्यम से सीवर के अनुरक्षण से सम्बन्धित सभी मशीनें एवं उपकरणों की प्राथमिक के आधार पर मरम्मत की जाए तथा इन्हें उपयोग हेतु सदैव तैयार रखा जाए । निदेशक (वित्त एवं लेखा) ने आश्वासन किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह आवश्यक वित्तीय और प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था करेंगे ।

3. अध्यक्ष महोदया ने बताया कि जंगपुरा क्षेत्र में पिछले 5–6 वर्षों से पाइप पड़े हुए हैं तथा उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं । उन्होंने निर्देश दिए कि इन पाइपों को तुरन्त उपयोग में लाया जाए ।

4. जिन रिहायशी भवनों का भाग व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है उनमें जल प्रभार की दरें लगाने सम्बन्धी वर्तमान नीति पर बोर्ड द्वारा चर्चा की गयी । श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य महोदय ने बताया कि कुछ मामलों में उपभोक्ता को पानी के बिल व्यावसायिक श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं, यद्यपि पानी का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता । मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मत था कि घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत जल प्रभार की दरें कम हैं तथा रिहायशी भवन के भाग का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए करने पर उपभोक्ता की भुगतान करने की क्षमता बढ़ जाती है । अतः यह वास्तविक रूप से तर्क संगत होगा कि ऐसे उपभोक्ताओं को या तो व्यवसायिक श्रेणी अथवा एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाए ।

5. श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य महोदय ने दिल्ली जल बोर्ड में एक अनवेषण एवं विकास कक्ष (आर0 एण्ड डी0 सैल) की स्थापना किए जाने का मामला उठाया । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अनवेषण एवं विकास कक्ष योजना विभाग का ही एक भाग होगा तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इसके ढ़ांचे एवं क्रियाकलापों को अन्तिम रूप देने के लिए पहले से ही कार्यरत है ।

6. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य महोदया ने सुझाव दिया कि गहराई पर पानी और सीवर की लाइनें डालते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे समीपवर्ती भवनों को क्षति न पंहुचे ।

7. श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य महोदय ने बताया कि ब्याज की राशि में वृद्धि से पानी के कटे हुए कनैक्शनों के विरूद्ध पिछले बकायों की बड़ी राशि इकठठी हो गयी है । यदि ब्याज की राशि को माफ कर दिया जाए तो इनमें से कुछ उपभोक्ता मुल बकाया राशि का भुगतान करना चाहेंगे । इस मामले पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी ।

8. श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य महोदय ने बताया कि अनाधिकृत कालोनियों के विस्तार के बावजूद ऊपर की मंजिलों में रहने वाले लोगों द्वारा अभी तक भूतल पर लगे पानी के कनैक्शन का ही उपयोग किया जाता है । इससे उपभोक्ताओं को असुविधा तथा दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व हानि होती है । सभी तलों/मंजिलों पर रहने वाले उपभोक्ताओं को अलग कनैक्शन दिए जाने चाहिए ।

9. सदस्य (प्रशासन) का सेवाकाल शीघ्र ही पूरा होने के कारण बोर्ड की बैठक में उनकी यह अन्तिम उपस्थिति थी, अतः बोर्ड द्वारा उन्हें विदाई दी गई । बोर्ड में अपनी सम्पूर्ण कार्यावधि के दौरान विशिष्ट कार्य करने और अपने कर्तव्य के प्रति गहरी आस्था रखने के लिए बोर्ड ने उनकी प्रशंसा की तथा इसे रिकार्ड में लिया गया ।

सचिव अरविंद रे

अध्यक्ष